न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-154RAAJodhpur2021-49RTA225 Sumersingh Vs Tejaram etc

सुमेरसिंह पुत्र घेंवरराम जाति जाट, निवासी- भूण्डाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. तेजाराम पुत्र आबूराम
2. अशोक पुत्र भूराराम
3. कालूराम पुत्र भूराराम
4. काली पत्नी गुदड़राम
5. मनोहरलाल पुत्र गुदड़राम
6. राकेश पुत्र गुदड़राम
7. समुद्री पत्नी भींयाराम
8. किरण पुत्री भींयाराम
9. गुड्डी पुत्री भींयाराम
10. बेबी पुत्री भींयाराम
11. महेन्द्र पुत्री भींयाराम
12. शांति पत्नी भींयाराम
13. हनुमानराम पुत्र भींयाराम
14. सुमेरराम पुत्र भीरमराम
15. संतोष कुमार पुत्र गोपाराम
16. रुपाराम पुत्र आदुराम
17. भंवरलाल पुत्र अणदाराम
18. गीता बेवा अणदाराम
19. चिमनाराम पुत्र शिम्भूराम
20. चुतराराम पुत्र शिम्भुराम
21. खींयाराम पुत्र शिम्भूराम

    सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- भूण्डाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
22. सांवतसिंह पुत्र मानसिंह के कायम मुकामः -
    - 22.1. उगमकंवर पुत्री सांवतसिंह
    - 22.2. कमलकंवर पुत्री सांवतसिंह
    - 22.3. कैलाशकंवर पुत्री सांवतसिंह
    - 22.4. गुलाबसिंह पुत्र सांवतसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

22.5. भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह
22.6. मोहनकंवर पत्नी सांवतसिंह
22.7. रतनसिंह पुत्र सांवतसिंह
22.8. रसालकंवर पुत्री सांवतसिंह
22.9. हरिसिंह पुत्र सांवतसिंह

सभी जातियान् राजपुत, निवासीगण- भूण्डाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 फरवरी 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 206/2019 तेजाराम बनाम सुमेरसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री देवानंद सोलंकी, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 22/1 से 22/9

नि र्ण य

दिनांक : 25 जनवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 206/2019 तेजाराम व अन्य बनाम सुमेरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 फरवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 18 मार्च 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से इक्कीस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए पेश कर अपने खेत खसरा नं. 249 रकबा 3.1066 हैक्टेयर, खसरा नं. 256 रकबा 0.7038 हैक्टैयर, खसरा नं. 248 रकबा 3.6162 हैक्टेयर ग्राम भुण्डाणा में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण/अपीलांट एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्य रेस्पोडेंट्स की खातेदारी खेत खसरा नं. 247/1 एवं 247/2 में सें मार्क ए. से बी. 30 फीट चौड़े रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 फरवरी 2021 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक से इक्कीस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा पेश की गई एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला कर दिया, जबकि उक्त रिपोर्ट मौके के हालात के बिलकुल विपरीत है। यह रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में रेस्पोडेंट्स के कहे अनुसार तैयार कर पेश कर दी गई एवं अपीलार्थी को बुलाया ही नहीं गया। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने बहुत जल्दबादजी में फैसला किया है एवं अपीलार्थी द्वारा कमिश्नर की रिपोर्ट बाबत एतराज पेश किये गये, जिन्हे मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया, जबकि मौके के हालात से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट के लिए लघुतम एवं निकटतम रास्ता वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 251/1 व 250/1 की उत्तरी माठ के सहारे उपलब्ध है। कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार करते समय वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई जांच नहीं की, जबकि वैकल्पिक रास्ता मौके पर विधमान था एवं आज भी है। रेस्पोडेंट द्वारा पूर्व में इसी स्थान से रास्ते की मांग करते हुए दीवानी वाद पेश किया गया, परन्तु उस दावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में रेस्पोडेंट को कोई सफलता नहीं मिली एवं उन्होने धारा 251-ए के तहत नये रास्ते की दुर्भावनावश मांग कर ली। जिस स्थान पर अपीलार्थी की भूमि में सें रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया है, उस स्थान पर अपीलार्थी के बाड़े एवं छपरे पहले से बने हुए है। इस कारण वहां से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता हैं। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 फरवरी 2021 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 21 के आवागमन हेतु खसरा नं. 251/1 एवं 250/1 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए का जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या एक से इक्कीस के आवागमन हेतु खसरा नं. 251/1 एवं खसरा नं. 250/1 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपलब्ध होना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 07.02.2020 में अपीलांट द्वारा बताये गये रास्ते के विकल्प बाबत कोई जांच न कर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 21 के आवागमन हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 22/1 से 22/9 के खातेदारी खेत खसरा नं. 247/1 एवं 247 में सें मार्क ए,बी,सी के बारे में ही जांच कर उक्त रास्ते को वैकल्पिक रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 21 के खातेदारी खेत खसरा नं. 249, 256 एवं 248 में आवागमन हेतु मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों पर बाबत मौका रिपोर्ट तलब किये बिना केवल प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 से 21 द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 फरवरी 2021 निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में खसरा नं. 250/1 एवं 251/1 के खातेदारान् पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति मे रेस्पोडेंट संख्या 1 से 21 की खातेदारी खसरा नं. 248, 249 एवं 256 से गैर मुमकिन रास्तो तक मौके पर उपलब्ध दोनो वैकल्पिक रास्तो के विकल्पो (**प्रथम विकल्प**- खसरा नं. 247/1 एवं खसरा नं. 247/2 तथा **द्वितीय विकल्प**- खसरा नं.250/1 एवं 251/1) की लंबाई सहित मौका रिपोर्ट तलब कर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 21 की खातेदारी से गैर मुमकिन रास्ते तक पहुंच वाले निकटतम एवं लघुतम विकल्प का चयन करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.01.2023

(मंगलाराम पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

जोधपुर